PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Dainik Jagran, Delhi
Sunday, 31st October 2010, Page: 11
Width: 8.81 cms Height: 19.18 cms, Ref: pmin.2010-10-31.50.40

दवा पेटेंट पर आजाद का अपनी ही सरकार से एतराज

चिट्ठी लिख कर वाणिज्य मंत्री से जताया विरोध, भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण पर चिंता

सुकेश केजरीवाल, नई दिल्ली

स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने पेटेंट और विदेशी निवेश के मामले में अपनी ही सरकार की नीतियों पर एतराज कर दिया है। आजाद का मानना है कि दवा उद्योग के मामले में पेटेंट कानून का ज्यादा सख्ती से पालन करने से सस्ती जेनरिक दवाओं के कारोबार पर बुरा असर पड़ेगा। वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा को पत्र लिख कर उन्होंने कहा कि दवा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) के स्वतः मंजूरी के रास्ते को बंद कर दिया जाए।

इस पत्र में स्वास्थ्य मंत्री आजाद ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ओर से दवा क्षेत्र की प्रमुख भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने लिखा कि इस स्थिति का सामना करने के लिए एफडीआइ की मौजूदा नीतियों को तुरंत बदलना होगा और इसे स्वतः मंजूरी के बजाय विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) के जरिए ही आना जरूरी करना होगा। आजाद के मुताबिक, 'अगर हमें दवा उद्योग के स्वस्थ्य विकास को सुनिश्चित करना है और अच्छी क्वालिटी की सस्ती दवा पर अपने लोगों की पहुंच को सुनिश्चित करना है तो ये कदम बेहद जरूरी है।' व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा कानून (ट्रिप्स) पर भारत सरकार के दस्तखत होने के बावजूद आजाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पेटेंट अधिकार को ज्यादा तवज्जो देने के पक्ष में नहीं। वाणिज्य मंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि भले ही किसी कंपनी को किसी दवा का पेटेंट हासिल हो, लेकिन भारत के औषधि महानियंत्रक चाहें तो भारतीय कंपनी को उसका जेनरिक स्वरूप बनाने की इजाजत दे सकते हैं। इस माह 22 अक्टूबर को लिखी इस चिट्ठी में उन्होंने माना है कि औषधि महानियंत्रक ने कुछ ऐसे मामलों में भी भारतीय कंपनियों को दवा बनाने की इजाजत दी है, जिनका पेटेंट अभी मान्य है। उनका कहना है कि भारतीय औषधि और सौंदर्य प्रसाधन कानून में इसका प्रावधान है। इसलिए बेहतर होगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पेटेंट अधिकारों के नाम पर इन कंपनियों को फिलहाल नहीं रोका जाए। बल्कि पेटेंट हासिल करने वाली कंपनी को कानूनी प्रक्रिया के तहत यह साबित करने दिया जाए कि उसके पेटेंट अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। उसके बाद ही उसे कंपल्सरी लाइसेंस दिया जाए।

ध्यान रहे कि कंपल्सरी लाइसेंस मिल जाने के बाद किसी भी दूसरी कंपनी को वह दवा बनाने के लिए लाइसेंस हासिल करने वाली कंपनी को भुगतान करना होगा। दवा उद्योग के क्षेत्र में भारत पिछले कुछ दशकों में तरक्की करते हुए दवा के शीर्ष उत्पादकों में शामिल हो गया है। हिंदुस्तान की गरीब आबादी के अलावा दुनिया भर के गरीब मुल्कों में यहां की बनी हुई जेनरिक दवाएं ही उपयोग हो रही हैं।

विशेष

विदेशी हाथों में गई प्रमुख कंपनियां

1. रैनबेक्सी लैबोरेट्रिज
2. पीरामल हेल्थकेयर
3. डाबर फार्मा
4. मैट्रिक्स लैब
5. ओर्किड कैमिकल्स
6. शांता बायोटेक